संख्या-12/855 प्रो0/51-2014-14(37)/2012

प्रेषक,

इन्द्र राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
झांसी ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 14 अक्टूॅबर, 2014

विषयः- राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2316/न0म0-वी0आई0पी0 (2013-2014), दिनांक 22 फरवरी, 2014 एवं पत्र संख्याः 2321/न0म0-वी0आई0पी0 (2013-2014), दिनांक 22 फरवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रु 90,383=00 (रुपये नब्बे हजार तीन सौं तिरासी मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

क्रम सं0	राज्य अतिथि का नाम /पदनाम/यात्रा की तिथि/वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक	धनराशि
1-	श्री सुनील कुमार गुप्ता, चीफ इलेक्शन आफीसर एण्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन, वेस्ट बंगाल, दिनांक 28-12-2013 से 04-01-2014 तक, वाहन संख्या-यू0पी0-32, बी0 एन0-6119, देयक संख्या बी एल वाई/एल/176 बिल, दिनांक 08-01-2014,	रु0 45,913=00
2-	श्री प्रदीप जैन आदित्य, मा0 ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार दिनांक 25-01-2014 से 28-01-2014 तक, वाहन संख्या-यू0पी0-32, इ0 एन0-3457, देयक संख्या के.पी.आर.-2991, दिनांक 04-02-2014,	रु0 44,470=00
	(रुपये नब्बे हजार तीन सौं तिरासी मात्र) कुल योग	रु0 90,383=00

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी0 डी0 ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा हैं । उक्त से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे हैं ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्री स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि ' के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नकः 02 मूलदेयक।

भवदीय
इन्द्र राज सिंह
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्यः 855 (1) प्रो0/51-2014-14(37)/2012, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3- कोषाधिकारी, झांसी ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, बरेली/कानपुर ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
इन्द्र राज सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in